राजस्व आदेश अनुवृति पत्र

न्यायालय कलेक्टर बैतूल

प्रकरण क्र. 0018/अ-20(3)/2021-22 मौजा- रातामाटी तहसील भीमपुर

सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग बनाम म.प्र. शासन

1	2	3
04/10/2021	प्रकरण प्रस्तुत। नजूल अधिकारी [अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही] से प्रतिवेदन के साथ प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय दिनांक 04/10/2021 के अनुसार आवेदित भूमि मौजा रातामाटी (प्रभुदाना) तहसील भीमपुर की नजूल भूमि खसरा नंबर 540/1/ख/2 रकबा 3.200 हेक्टेयर खसरा नंबर 540/1/ ड./2रकबा 1.819 हेक्टेर खसरा नंबर 540/1/च/2 रकबा 0.605 हेक्टेयर (कुल रकबा 5.624 हेक्टे.) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु आवेदक विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन को हस्तांतरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला नजूल निर्वर्तन समिति का निर्णय दिनांक 04/10/2021 आदेश का एक भाग होगा। 2- आदेश की प्रति तहसीलदार भीमपुर को अभिलेख दुरूस्ती कर आवेदक विभाग को मौके पर कब्जा प्रदान करने हेतु भेजी जावे। तहसीलदार भीमपुर उक्त कार्यवाही कर 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रकरण नस्तीवद्ध किया जाता है। अभिलेखागार भेजा जावे। (अमनवीर सिंह बैंस) कलेक्टर बैतूल	

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक:- 0018/अ-20(3)/2020-21/

बैतूल दिनांक04/10/2021

जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक के लिये संक्षेपिका

विषयः- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भीमपुर के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल द्वारा, ग्राम विकास खण्ड भीमपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु, मौजा रातामाटी तहसील भीमपुर में स्थित खसरा नंबर 540/1/ख रकबा 3.517 हे. में से 3.200 हे. खसरा नंबर 540/1/ ड. रकबा 3.156 हे. में से 1.819 हे. खसरा नंबर 5410/1/च रकबा 1.554 हे. में से 0.605 हे. (कुल रकबा 5.624 हेक्टे.) शासकीय भूमि मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने हेतु मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के प्ररूप एक में On line आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विधिवत् प्रकरण संस्थित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैसदेही को जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंतरित किया गया। अनुविभागीय अधिकार (रा.) भैसदेही द्वारा विषयांकित के संबंध में तहसीलदार भीमपुर से जाँच प्रतिवेदन आहूत किया जाकर, प्रतिवेदित किया गया है कि, प्रकरण में उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। ग्राम रातामाटी में दिनांक 16-8-2021 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में मौजा रातामाटी स्थित खसरा नंबर 540/1/ड. कुल रकबा 3.156 हेक्टे. में से 1.819 हेक्टे. खसरा नंबर 540/1/च. कुल रकबा 1.554 हेक्टे. में से 0.605 हेक्टे. खसरा नंबर 540/1/ख कुल रकबा 3.517 हेक्टे. में से 3.200 हेक्टे. (कुल 5.624 हेक्टे.) भूमि आदिम जाति कल्याण विभाग को आवंटित किये जाने में आपत्ति नहीं होने का प्रस्ताव (क्रमांक-12) सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

प्रकरण में संलग्न राजस्व अभिलेख खसरा की प्रति के अनुसार प्रश्नाधीन स्थित खसरा नंबर 540/1/ख/2 रकबा 3.200 हेक्टेयर खसरा नंबर 540/1/ ड./2रकबा 1.819 हेक्टेर खसरा नंबर 540/1/च/2 रकबा 0.605 हेक्टेयर (शासकीय) मध्यप्रदेश शासन दर्ज है।

आवेदित प्रयोजन हेतु चयनित भूमि जल संरचना से दूर है, हाईटेंशन लाईन नहीं है। आस पास धार्मिक स्थान, श्मशान, कब्रिस्तान नहीं है। उक्त भूमि नांरगी क्षेत्र छोटे बड़ें झाड़ का जंगल के अंतर्गत दर्ज नहीं है। आवेदित भूमि पूर्व से किसी व्यक्ति/संस्था को आवंटन के लिये प्रस्तावित नहीं है।अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैसदेही द्वारा उपरोक्त आधारो पर मौजा रातामाटी तहसील भीमपुर में स्थित खसरा नंबर 540/1/ख/2 रकबा 3.200 हेक्टेयर खसरा नंबर 540/1/ ड./2रकबा 1.819 हेक्टेर खसरा नंबर 540/1/च/2 रकबा 0.605 हेक्टेयर (कुल रकबा 5.624 हेक्टे.)आवेदित प्रयोजन हेतु किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के प्रावधानो के अनुसार विषयांकित के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

(1)- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका -3(ग) के अनुसार संहिता की धारा 2(1) (य-3) में यथापरिभाषित समस्त दखल रहित भूमि तथा राज्य शासन के द्वारा गैर कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि को नजूल भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा नगरेत्तर क्षेत्र में संहिता की धारा 237 के अंतर्गत निस्तार अधिकारो के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई भूमि और धारा 233-क के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि को नजूल भूमि नहीं माना गया है।

(2)- कंडिका-11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को जिला स्तर नजूल भूमि हस्तांतरित करने के लिए जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।

(3)- कंडिका-12 के अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा लैण्ड बैंक में से भूमि का चयन किया जाना है, तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन किया जाना है।

इस प्रकरण में जिले के लैण्डपूल में से भूमि का चयन किया गया है, तथा निर्धारित प्ररूप में आवेदन भी किया गया है। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा आवेदन न करते हुए जिला प्रमुख (सहायक आयुक्त

.....कृ.पृ.उ.....

आदिवासी विकास बैतूल) द्वारा आवेदन किया गया है। विभागाध्यक्ष, आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश द्वारा उनके पत्र क्रमांक/ईएमआरएस/2020/408/71 दिनांक 13/01/2020 से समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में 27 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, इस हेतु 10 से 15 एकड़ भूमि कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर आबंटित करावें।

(4)- कंडिका-13 (2) के अनुसार कंडिका-142 में उल्लेखित रिति से सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करके दावे आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये जाना है। जाँचकर्ता अधिकारी तहसीलदार भीमपुर द्वारा प्रकरण में दिनांक 06-8-2021 को सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करके दावे आपत्ति आमंत्रित किये गये है। निर्धारित समयावधि के भीतर प्रकरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। ग्राम रातामाटी में दिनांक 16-8-2021 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में मौजा रातामाटी स्थित खसरा नंबर 540/1/ड. कुल रकबा 3.156 हेक्टे. में से 1.819 हेक्टे. खसरा नंबर 540/1/च. कुल रकबा 1.554 हेक्टे. में से 0.605 हेक्टे. खसरा नंबर 540/1/ख कुल रकबा 3.517 हेक्टे. में से 3.200 हेक्टे. (कुल 5.624 हेक्टे.) भूमि आदिम जाति कल्याण विभाग को आवंटित किये जाने में आपत्ति नहीं होने का प्रस्ताव (क्रमांक-12) सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(5)- कंडिका-13 (3) के अनुसार नजूल अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) के प्रतिवेदन में अन्य बातो के अलावा आवश्यक निम्न बिन्दुओ पर उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:-

(क)	तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नहीं ?	नजूल अधिकारी (अ.वि.अ.भैंसदेही) के प्रतिवेदन की कंडिका 11.3 के उत्तर में लेख किया गया है कि आवेदित भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग पर रोक नहीं है, अत: प्रस्तावित भूमि उपयोग अनुमत माना जा सकता है।
(ख)	भवनो के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन	विभागाध्यक्ष द्वारा एकलव्य आदर्श विद्यायलय हेतु 10 से 15 एकड़ भूमि की मांग की गई है। आवेदक विभाग द्वारा 5.624 हे. भूमि की मांग की गई है, जो आवश्यक भूमि की अधिकतम सीमा के अंदर ही है।
(ग)	आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता	विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 13/01/2020 के अनुसार 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई है। नजूल अधिकारी (अ.वि.अ. भैंसदेही) के प्रतिवेदन के बिंदु क्र. 13(3) के अनुसार भूमि आबंटन के पश्चात शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जावेगी।
(घ)	क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है ?	आवेदित भूमि निवेश क्षेत्र में नहीं है, अत: किसी अन्य लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता संभावित नहीं है।

नजूल अधिकारी
एवं सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति, बैतूल

.....निरंतर .....

जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति का अभिमत/निर्णय दिनांक 04 /10/2021

नजूल अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन बैतूल द्वारा प्रस्तुत संक्षेपिका की कंडिका (3) एवं (5) में उल्लेखित वस्तुस्थिति के आधार पर, तथा अन्य समर्थनकारी अभिलेख के आधार पर जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति का विचार निम्नानुसार है :-

I. भूमि हस्तांतरण बाबत आवेदन यद्यपि आवेदक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया गया है, परंतु आयुक्त आदिवासी विकास के पत्र दिनांक 13/01/2020 से सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु भूमि आबंटन हेतु लेख किया गया है। उक्त पत्र के आधार पर प्रस्तुत आवेदन विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत मान्य किया जाता है।

II. भूमि आबंटन पश्चात वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रकरण में निर्णय लिया जा रहा है।

III. आवेदित भूमि निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, अतः तल क्षेत्र अनुपात के मापदंड लागू नहीं हैं। आयुक्त आदिवासी विकास के पत्र दिनांक 13/01/2020 द्वारा वांछित क्षेत्रफल के आधार पर तल क्षेत्र अनुपात का अधिकतम उपयोग अवधारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार विचारोपरांत आवेदक विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. शासन को ग्राम रातामाटी (प्रभुढाना) तहसील भीमपुर की नजूल भूमि खसरा नंबर 540/1/ख/2 रकबा 3.200 हेक्टेयर खसरा नंबर 540/1/ ड./2रकबा 1.819 हेक्टेर खसरा नंबर 540/1/च/2 रकबा 0.605 हेक्टेयर (कुल रकबा 5.624 हेक्टे.) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु हस्तांतरण किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति, बैतूल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बैतूल.	जिला पंजीयक, बैतूल.	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बैतूल.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैसदेही

स्थल पंचनामा

रातामाटी
6/11/20

हम उपस्थित पंचगण आज दिनाँक - 06/11/2020 को यह तस्दीक करते है कि ग्राम रातामाटी प.ह.न. 43 रा.नि.मं. चांदू तहसील-भीमपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित होने से राजस्व विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग बैतूल से उपयंत्री कुमारी नेहा चौहान, राजस्व निरीक्षक चांदू, हल्का पटवारी द्वारा मौके पर खसरा क्रमांक 540/1च रकबा कुल 1.5540 हे. में से 0.605 हे., खसरा क्रमांक 540/1ड. रकबा कुल 3.156 हे. में से 1.819 हे, खसरा क्रमांक 540/1ख. रकबा कुल 3.5170 हे. में से 3.200 हे. कुल भूमि 5.624 हे. भूमि का सीमांकन कर चतुर्सीमा बताई गई एवं आदिम जाति कल्याण विभाग को सुपुर्द की गई।

पंचनामा मौके पर तैयार किया गया, पढ़कर सुनाया, समझा गया, तत्पश्चात हस्ताक्षर/अंगूठा किया गया।

नेहा चौहान — 6/11/20 उपयंत्री ACTD, Betul

Kotwar Ratamati — RT 6/11/20

रविचरण धुर्वे

लंकेश बेले

मंगल आहके

हेमराज बेले

PW47

शिवराज सिंह
उप सरपंच

(शिशु कुमार पाल)
स० शिक्षक
T.W.D
M/S Ratamati

श्रीराम सिंह पाखेर

दुर्गाप्रसाद नरेन्द्र

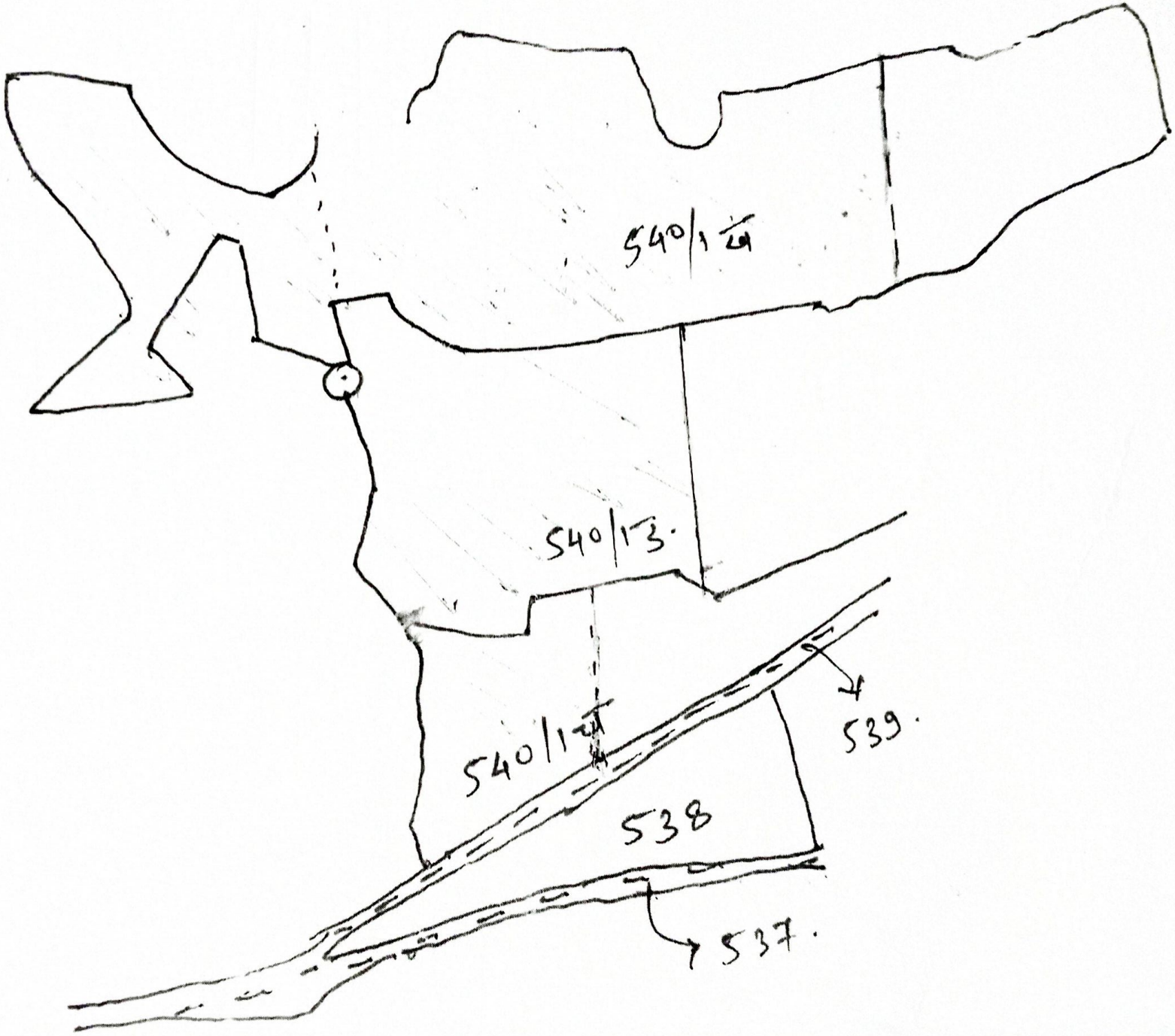
540/1
540/13
540/14
539
538
537